Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 5 | MAY 2024

बार्हस्पत्य राज - व्यवस्था :- प्रशासकीय सेवाओं के विशेष संदर्भ में

दिनेश कुमार मील [1]

[1] **सहायक आचार्य, इतिहास, सुजस महाविद्यालय, बनेड़ा, भीलवाड़ा (राज.).**

ABSTRACT:

राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूर्व में प्रारंभ माना जाता है बृहस्पति के अनुसार प्रशासन में राजा की प्रत्यक्षा ही नहीं वरन ' परोक्षा ' और ' अनुमेय ' वृत्ति होती है, जिसके निमित्त उसे न केवल मंत्रणादाता मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। प्रशासकीय अधिकारियों के निमित्त वे ' सेवक ' शब्द का व्यवहार करते हैं बृहस्पति ने अपने ग्रंथ में प्रशासकीय सेवाओं को राज्य का मूलाधार बताया है।

KEYWORDS:

राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य के प्रकार, प्रशासकीय सेवाऐं।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
29th May 2024	30th May 2024

विषय प्रवेश:

राजनीतिक समाज का क्रमिक विकासशील समाज स्वीकार करते हुऐ बृहस्पत्ति राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की मान्यता प्रदान करते हैं। कृतयुगीन समाज क्रमिक पतन के पश्चात् तिष्यपाद के अन्नतर, 'अनृतवादियो' के कारण मत्स्य न्याय की स्थिती उत्पन हुई। फलतः सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्तर पर जो अव्यवस्था फैली, उसके कारण राज्य एवं वर्णाश्रमों के नेता नियन्ता राजा का निर्माण किया गया। बृहस्पति की भाति हॉब्स ने भी अव्यवस्था और कलह के पश्चात् देव प्रतिनिधि में आस्था प्रकट की, अन्तर यह था कि यह देव प्रतिनिधि महान लेवाययन का वंश समाजानुबंध द्वारा मनोनीत शासक था जबकि बृहस्पति राजा दैवी था और उसके निर्माण में देवताओं के अतिरिक्त किसी का हस्तक्षेप संभव नही था।

राज्य की उत्पति विषयक चिन्तन के लिऐ बृहस्पति "धर्म" के शाश्वत स्वरुप के ऋणी थे।

बृहस्पति ने सप्त प्रकृति का सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है जिसका परवर्ती लेखकों ने भी अपने ग्रन्थों में वर्णन किया है।

(A) पृथ्वीपति: बार्हस्पत्य राज - व्यवस्था में पृथ्वीपति का केन्द्रीय स्थान था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत राजा प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता था। उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता था, उसके व्यक्तित्व एवं कार्य क्षमता पर राज्य का भविष्य निर्भर करता था। पाणिनीय परंपरा के अनुसार भी वह "राजा" तथा " स्वामी" कहलाता था। दोनों ही शब्द उसकी शासकीय शक्ति के द्योतक थे। अतः उसके महत्व को ध्यान मे रखते हुए बृहस्पति राजा के लिऐ सर्वगुणोपेत होना आवश्यक मानते थे विद्यागुण, अर्थगुण तथा सहागुण उसे गुणवान बना देते थे जिनसे संपन्न होकर वह सामान्य राजा से सम्राट हो सकता था।

(B) अमात्य मंत्री: बृहस्पति राजा के पश्चात अमात्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति मानते थे। पाणिनी तथा बौद्ध साहित्य समान रूप से मंत्रियों का महत्व स्वीकार करते है। शासन यंत्र के कुशल संचालन तथा राजकीय नीति के कार्यान्वीकरण और मित्र तथा शत्रु शक्ति के सामर्थ्य के बारे में विश्वस्त सूचनाऐं भी कुशल सहायक तथा मंत्रणादात्ता मंत्रियों के लिए क्रमशः 'कर्मसचिव' और 'श्री सचिव' शब्दों का प्रयोग करता है। मंत्रियों के सर्वश्रेष्ठ समर्थक भारद्वाज थे। वे अमात्य शक्ति तथा राजा पर आये हुऐ व्यसनों में अमात्य-व्यसन को अधिक भयंकर मानते थे।

(C) राष्ट्र: बृहस्पति राष्ट्र को तृतीय प्रकृति मानते है। जनपद की विशेषताओं का वर्णन कौटिल्यीय में उपलब्ध होता है। उसके अनुसार जनपद सम्मत के अन्तर्गत अच्छी जलवायु, ब्रज, शीघ्रकृष्या भूमि, उद्योगी किसान, अर्थ तथा दण्ड वहन करने में सर्मथ भक्त, शुचि एवं कर्तव्यपरायण लोग अनिवार्य थे। कौटिल्य मत की व्याख्या करते हुए कामन्दक का मत है कि वहां शूद, कारू, वणिक कर्म करने वाले एवं कृषीवल हो अर्थात् राष्ट्र के निवासी राजभक्त एवं राजकीय करों के वहन में सर्मथ हो।

(D) दुर्ग: बृहस्पति ने दुर्ग को महत्व प्रदान किया है। बृहस्पति "दुर्ग" एवं "पुर" दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार करते हैं। प्रशासन के केंद्र एवं राजधानी नगर के रूप में इसका विशेष महत्व होता था।

(E) कोश: बृहस्पति कोश को विशेष महत्व देते है क्योंकि वे मानते है कि धन से सभी कार्यों का आरम्भ होता है। राज्य कार्य के सम्पादन के निमित्त हिरण्य आदि से पूर्ण तथा आपत्ति के समय में बहुत अधिक व्यय करने में सक्षम कोश को बृहस्पति "गुणवान कोश" मानते है। बृहस्पति कोश - वृद्धि अनिवार्य मानते है किन्तु वे न्याय मार्ग का अनुगमन भी अनिवार्य मानते है।

(F) दण्ड: बृहस्पति सैन्य शक्ति को अनावश्यक महत्व नहीं प्रदान करते है। उनका मत है कि आवश्यक भर की ही सेना रखनी चाहिये। अधिक शक्तिशाली सेना राजा की मार डालती है। बृहस्पति के मतानुसार अमात्य से प्रारंभ होने वाली पांचों प्रकृतियॉ मानते है।

राज्य के प्रकार: बृहस्पति शासन प्रणाली भेद के अनुसार राजतंत्र तथा गणतंत्र मे ही अन्तर की स्थापना नही करते वरन वे राज्य, भोज्य, वैराज्य तथा साम्राज्य में उसका वर्गीकरण करते हैं। प्रतीत होता है कि उनका वर्णन भौगोलिक स्थानों के अनुसार न होकर राजा के ही विभिन्न विरुद्धो तथा उनके महत्व के अनुरूप किया गया था क्योंकि वे इन नामो को "भूपतिनृप" की स्तुति में प्रयुक्त शब्द मानते है।

प्रशासकीय सेवाएं: बृहस्पति के मतानुसार राजा की " प्रत्यक्षा" ही नहीं वरन ' परोक्षा' और ' अनुमेया' वृत्ति होती है, जिसके निमित्त उसे न केवल मंत्रणादाता मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी। प्रशासकीय अधिकारियों के निमित्त वे ' सेवक' शब्द का व्यवहार करते हैं। बृहस्पति ने अपने राजनीतिक विचारों के अन्तर्गत प्रशासकीय सेवाऐ के नाम से एक पृथक अध्याय लिखकर इस प्रकार डाला है।

सचिवालय: प्रशासन के संगठन विस्तार एवं विभिन्न विभागों में पारस्परिक सम्बंध की स्थापना के निमित्त उस युग में सचिवालय की आयोजना होती थी सचिवालय संगठन में विभिन्न विभागीय अध्यक्ष, कार्यकर्ता अधिकारी, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पुरुष कर्मचारी

होते थे।

अष्टादश तीर्थ: बृहस्पति सूत्र में एक स्थान पर अष्टादश तीर्थों की योजना आवश्यक बताई गयी है। डॉ० प्रथम नाथ बनर्जी के अनुसार अष्टादश तीर्थों का उल्लेख चाणक्य ने भी किया है। वास्तविक प्रशासन का वर्णन करते हुऐ वे लगभग तीस विभागों का वर्णन करते हैं। अष्टादश तीर्थी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, आन्तवर्शिक प्रशास्तृ, समाहर्त्ता, सन्निधाता, प्रदेषद्, नायक, पौर, व्यावहारिक कार्मान्तिक, मन्त्रिपरिषदाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गपाल, अन्तपाल को ही डॉ. जायसवाल ने अष्टादश तीर्थ माना है। कोश विभाग से सम्बद्ध कृषि, शुल्क अष्ट अक्षपतटलाधिकरण, खनिज तथा जंगल विभाग होते रहे हो होगें।

चर विभाग पृथक रूपी विकसित होने के बाद भी प्रशासकीय सुविधा के विभिन्न संभवत सैन्य तथा परराष्ट्र विभाग से संलग्न होकर कार्य करता था। पर राष्ट्र विभाग वैदेशिक संबंधों का निर्धारण तथा संचालन करता था तथा न्याय विभाग प्रशासकीय विभाग और न्यायालय दोनों ही रूपों में पृथक स्तर पर कार्य करता था। संभवत: दुर्ग, निर्माण विभाग तथा अनुशासन के निमित्त पृथक व्यवस्था होती रही होगी।

कोश विभाग: बार्हस्पत्य कोश विभाग आकार-प्रकार में बड़ा विभाग होता था

वस्तुत: कोश शब्द समस्त आर्थिक व्यवस्था का द्योतक था। बृहस्पति इसे 'धनाध्यक्ष' नामक अधिकारी के अन्तर्गत रखते है। उत्तर वैदिक युग में सन्निधात तथा समाहर्त्ता इस विभाग के प्रभाव अधिकारी माने जाते थे। कृषि विभाग के प्रमुख अधिकारियों के वर्णन बार्हस्पत्य उद्धरणों में उपलब्ध नहीं होते है।

सैन्य विभाग: राज्य की शांति, दृढता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के दृष्टिकोण से सैन्य विभाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता था। बार्हस्पत्य राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत इस विभाग को प्रधान अधिकारी सेनापति होता था। पद के महत्व को दृष्ट्रिगत करके बृहस्पति ने उसके लिए कुल, शील, शास्त्रीय ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव को विशेष महत्व प्रदान किया है। उसके लिए अपनी तथा शत्रु सैन्य की सामर्थ्य का ज्ञान भी आवश्यक है प्रशासन की सुविधा के लिए सैन्य विभाग छः उपविभागों में विभक्त था।

चर विभाग: सैन्य विभाग से ही सम्बध चर विभाग रहा होगा जो राष्ट्रीय प्रशासन में शान्ति स्थापना के निमित्त किये जाने वाले प्रयत्नों के लिए मार्ग प्रस्तुत करता तथा अन्तर राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने देशों के लिए सूचनाऐ एकत्रित करता रहा होगा।

विदेश विभाग: बार्हस्पत्य प्रशासन का अर्ध धार्मिक तथा अर्ध राजनीतिक उद्देश्य होता था। राजा को साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से विजिगीषु के रूप में कार्य करने पड़ते थे। फलतः अन्तर राज्य स्तर पर संबंधों की निर्धारण इस विभाग के अन्तर्गत करना पड़ता था। ये संबंध युद्ध व शांति कालीन होते थे। बार्हस्पत्य राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत विदेश विभाग का प्रधान संधि विग्रहिक कहलाता था। विदेश विभाग की अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में शांति संबंधों अथवा युद्ध संबंधों के निमित्त संधि और विग्रह कार्य करने पडते थे। इस विभाग में सम्भवतः पत्र प्रपत्र के निमित्त सचिवालय अवश्य होता था किन्तु मुख्य कार्य विभाग के अनुभवी, योग्य दूत करते थे जो विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते थे और मैत्री तथा शत्रुता के संबंधों की घोषणा करते थे।

न्याय विभाग: बार्हस्पत्य राज्य व्यवस्था का आधार ही शान्ति समृद्धि, धर्म एवं सामाजिक न्याय की स्थापना था जिसके कारण एवं निमित्त बृहस्पति राज्य, राजा एवं व्यवहार का सृजन स्वीकार करते है। वे न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी प्राडविवाक को मानते है जो न्याय मंत्री तथा प्रधान न्यायाधीश दोनों रुप में कार्य करता था। उसके लिऐ बृहस्पति बहुश्रुत ब्राहमण को वरीयता प्रदान करते है जिसके अभाव में वे विद्वान क्षत्रिय अथवा धर्मशास्त्रज्ञ वैश्य की नियुक्ति के पक्ष पाती है। उनका स्पष्ट आदेश है कि शूद्र को इस पद पर नियुक्त न किया जाये न्यायकरण कार्य के निमित्त बृहस्पति सात, पाँच या तीन सभ्यो की नियुक्ति को मान्यता प्रदान करते है। जिनकी सहायता से प्राडविवाक स्मृति के भाधार पर निर्णय करता था। प्रधान न्यायाधीश के रूप में वह दोष हीन प्रतिवादी मुक्त करके जयपत्र देता था अन्यथा अपराधी पाकर दण्ड्य घोषित करता था। सभ्य वाद के सत्यासत्य की परीक्षा करते थे। राजा दण्ड देता था। न्यायालय का गणक घन राशि की गणना करता था। लेखक प्राडविवाक के निर्णय को लिपि बन्ध करता था। सभ्य न्यायसभा के सदस्य होते हुए भी प्रशासकीय सेवाओ के व्यक्ति नही होते थे। वे राजकीय प्रभाव से स्वतंत्र विद्वान होते थे जो श्रुति, स्मृति, स्थानीय लोकाचार एवं दशाचार के ज्ञाता होते थे।

अन्य विभाग: एक स्थल पर बृहस्पति ग्रामीण प्रशासन के प्रधान महत्तम का वर्णन करते है। बार्हस्पत्य अंशों में दुर्ग के प्रशासरीय अधिकारी दुर्गपाल तथा अन्तपाल के वर्णन नहीं मिलते है। इसी भाँति कारागार तथा उसके अधिकारियों के भी वर्णन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार निर्माण विभाग के अधिकारियो तथा उसके सहायको के भी वर्णन नही मिलते जो राजकीय भवनों, पाठशालाओ, मार्गो, मन्दिरों एवं सेतुबंधो के निर्माण का कार्य करते थे।

योग्यता एवं अनुभव का महत्व: बार्हस्पत्य चिन्तन विभिन्न प्रशासकीय पदों के निमित्त योग्यताओं शैक्षिक योग्यताओं, प्रयोग, ज्ञान तथा अनुभव को विशेष महत्व प्रदान करता है। पारिवारिक शालीनता और स्वभाव का भी महत्व स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है। बार्हस्पत्य वर्णनों से ज्ञात होता है कि निर्धारित योग्यताएं पद प्राप्ति के लिए आवश्यक थी। संभवत राजकीय कर्मचारियों का वेतन मुद्रा में दिया जाता था। बार्हस्पत्य वर्णनों में कार्षापण, चन्द्रिका, सुषर्ण तथा दीनार आदि मुद्राओं के उल्लेख मिलते हैं।

सारांश: धर्म और राजनीति के पृथक्करण कार्य के साथ-साथ बृहस्पति को राजनीति विषयक प्रथम शास्त्रीय ग्रंथ की रचना का श्रेय है। बार्हस्पत्य चिंतन की यह विशेषता है कि अपने विषय का प्रथम प्रयत्न होने के बाद भी उसकी वैज्ञानिक चिन्तन परंपरा में शिथिलता नहीं है। राजा की मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व मंत्री अमात्य एवं उतना सहायक वर्ग करता था। बृहस्पति मंत्री और पुरोहित को राजा के माता-पिता के समान मानते है, उनका स्पष्ट मत था कि बाध्य नीति और आन्तरिक नीति के विनिश्चय के अवसरों पर राजा मंत्रियो से परामर्श करे और वे यथा गुरुत्व अपना अभिमत प्रकट करे। बृहस्पति मंत्रियों की नियुक्ति तथा पद विवरण के पूर्व पारिवारिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं अनुमान सम्बन्धी सभी गुणों और उपधा परीक्षण की महत्व प्रदान करते है। कौटिल्य ने भी लगभग बार्हस्पत्य मत को ही स्वीकार किया है।

REFERENCES

1. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र: पी. वी. काणे

2. हिन्दू पॉलिटी: के. पी. जायसवाल

3. भारतीय संस्कृति: शिवदत्त ज्ञानी